

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या— प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/2170

तारीख: दिनांक 14-8-2020

—कार्यालय द्वारा—

अधिकांश भारतीय राज्यों की शिक्षा परिषदें नई दिल्ली/फार्नेसी कार्यालय और इन्डिया नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा जारी प्राथमिकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उम्मीद प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में सचिव कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सावधानी संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/प्राथमिक/प्राथमिक शिक्षा प्रदान कृति सहित अन्य बातों का विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्र-8 में डिप्लोमा इन प्राथमिकी अनुसंधान सम्बन्धित करने वाली नई संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2020-21-विषयों का विचारण निर्णय लिया गया।

सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली डिप्लोमा इन फार्नेसी सम्बद्धता निर्देश पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्देश पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक संस्थाओं का स्वतंत्र निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, मानव, प्रायोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी0सी0आई0/परिषद की मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

उपरोक्त विस्तारण संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन अनुसंधान एवं उसमें अधिकांश प्रवेश कराया हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है —

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्थापक का नाम	डिप्लोमा/प्राथमिकी द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	डी नारदीन किंग फार्नेसी कॉलेज, मिर्जापुर-कानपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	डिप्लोमा इन फार्नेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पी0सी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विन्डोवसवाले 13882, सेक्टर-27, मिर्जापुर-कानपुर तथा अन्य निर्मित मिशनों एवं आवेदों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पर्याप्तता हेतु ₹0 20,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए फार्नेसी पर्याप्तता हेतु ₹0- 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की लंबी पर्याप्तता (दो वर्षों के लिए फार्नेसी पर्याप्तता के अधीन) हेतु ₹0- 20,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/प्रकार में प्रदाय किया जायेगा। पर्याप्तता की अधीन प्रदाय/पर्याप्तता में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सम्मेलन द्वारा निर्मित किये जाने वाले विचारणों तथा शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।

उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रतिष्ठित शिक्षा निदेशालय एवं प्रतिष्ठित शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विस्तृत पट्टे कोई कदम द्वारा लिया जाता है तथा द्वारा कदम के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लक्ष्यरूप द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित कर्तव्यनिष्ठित प्रारम्भ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्त्तव्यनिष्ठित के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समग्र-संस्था पर निर्गत नई-नियम अवरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने बैलान्स पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुझाव, आवाज सुझाव आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठित हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ रैटिन रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को कवर करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का पट्टे संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के श्रेष्ठ राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान पट्टे संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमनुसार अनुशासनसम्बन्ध कार्यवाही की जायेगी।



(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

पृष्ठसं०- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2023/15093-15145

दिनांक: 21/10/2023

प्रतिनिधि,

उत्तर प्रदेश निदेशालय SRI MAHADEW SINGH PHARMACY COLLEGE



(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव